



# पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय कुण्डा, प्रतापगढ़  
मदमा आरोग्य निकेतन, पुराना बस स्टेशन रोड कुण्डा, प्रतापगढ़, उ०प्र०, पिन-230204  
E Mail ID - eddit pra@yahoo.com, Mob. No - 9450963894

पत्रांक - /वि०वि०खंड०द्वि०कु०प्रता०/  
विषय :- आप द्वारा विभागीय राजस्व वसूली के कार्यों में कोई रुचि न लिए जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक:-

श्री अशोक कुमार गुप्ता लाइनमैन,  
मेसर्स ग्लोबटेक क्रियेशन प्रा०लि०  
अन्तर्गत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र  
प्रतापगढ़, प्रतापगढ़।

सम्बन्धित विषयक आपको अवगत कराना है कि माह मार्च, 2024 में खण्ड के निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य 10.98 के सामेक्ष शतप्रतिशत वसूली किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फीडरवार प्रति लाइनमैन को रू० 50000.00 की प्रतिदिन राजस्व वसूली किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्युत उपकेन्द्र बाघराय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा लक्ष्य विद्युत उपकेन्द्र के परिचालक के मोबाइल न० से वृत्तभाष पर आपसे समय लगभग 02:00 बजे वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान आपसे राजस्व वसूली के बारे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूछा गया। आप द्वारा 02:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि 03 लोगों को कैंश काउण्टर पर कैंश जमा करने के लिए भेजा गया है। समय 02:00 बजे तक आप द्वारा केवल 03 उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली के सम्बन्ध में वार्ता किया जाना अधोहस्ताक्षरी के समक्ष से परे है। वर्तमान में आप स्वयं भी अवगत है कि माह मार्च, 2024 जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का अन्तिम माह का अन्तिम सप्ताह प्रगति पर है, जिसमें राजस्व सम्बन्धी कार्यों में रुचि न लेना आपके कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

आज जगत के सम्बन्ध में आपको सचेत करते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च, 2024 के शेष दिवस में अन्तिम कार्यवाही में सुधार लाते हुए पूर्ण मनोयोग से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित किये गये राजस्व वसूली लक्ष्य (रू० 50000.00/प्रति लाइनमैन) की प्रतिदिन शतप्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में नव नव 2024 के उपरान्त आपकी निविदा सम्बन्धी सेवा पर विचार करते हुए आपकी निविदा सेवा समाप्त किये जाने सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही करना अधोहस्ताक्षरी की बाध्यता होगी।

निगमीय हित में प्रेषित।

(संदीप कुमार मौर्या)  
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक - /वि०वि०खंड०द्वि०कु०प्रता०/

दिनांक:- 29/03/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण), प्रयागराज क्षेत्र द्वितीय, प्रयागराज।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल प्रतापगढ़।
3. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड बिहार प्रतापगढ़, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा लाइनमैनो द्वारा प्रतिदिन किये गये राजस्व की प्राप्ति की समीक्षा सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित अवर अभियन्ता, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा लाइनमैनो द्वारा प्रतिदिन किये गये राजस्व की प्राप्ति की समीक्षा सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. मेसर्स ग्लोबटेक क्रियेशन प्रा०लि०, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड के अन्तर्गत लाइनमैनो को निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य की शतप्रतिशत प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशानिर्देश देना सुनिश्चित करें।
6. अधिधान कट फाइल।

(संदीप कुमार मौर्या)  
अधिशासी अभियन्ता